

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर
न्यायालय तहसीलदार अजमेर

प्रकरण संख्या 5/2020

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू.राजस्व
अधिनियम 1956

सरकार जरिये पटवारी हल्का भूडोल बनाम श्रीशेर सिंह पुत्र रतन सिंह हरि सिंह पुत्र रतन सिंह जाति रावत भूडोल
निर्णय

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है। कि पटवारी हल्का भूडोल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम भूडोल के खसरा नम्बर 3561 रकबा 7.05 हैक्टर चरागाह भूमि है। जिसमें से 0.15 हैक्टर भूमि पर चारदिवारी निर्माण व टिन सैड कमरा बनाकर कब्जा किया गया है।

वर्तमान में ग्राम भूडोल की आराजी खसरा नम्बर 3561 रकबा 7.05 हैक्टर मुताबिक रिकॉर्ड चरागाह भूमि दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार अतिक्रमी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 91 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल व गैर सायल अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो असन्तोषप्रद पाया गया

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी सम्बन्ध 2076 के अनुसार रिपोर्ट पटवारी हल्का भूडोल अनुसार ग्राम भूडोल के खसरा नम्बर 3561 रकबा 7.05 हैक्टर चरागाह भूमि है जिसमें अतिक्रमी श्री शेर सिंह पुत्र रतन सिंह हरि सिंह पुत्र रतन सिंह जाति रावत ग्राम भूडोल द्वारा खसरा नम्बर 3561 रकबा 0.15 पर पक्की चारदिवारी व टिन सैड कमरा बनाकर कब्जा कर अनाधिकृत कब्जा किया जाना साबित होता है।

अतः उक्त अतिक्रमित भूमि ग्राम भूडोल के खसरा नं 3561से अतिक्रमी को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है साथ ही अतिक्रमित भूमि की लगान 2रु का पचास गुना 100 रु शास्ती आरोपित से दण्डित किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व अभि० निरीक्षक/पटवारी हल्का को शास्ती राशी की वसूली व अतिक्रमी को मौके से बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली की मांग की राशि 100/-
रा.ले.सं.-4 वर्ष 2019-20 के पृष्ठ सं. 28
पर इन्द्राज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार
अजमेर

तहसीलदार अजमेर
तहसीलदार, अजमेर